(9)

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(74)

निगरानी प्र.क. /14–15

प्रस्तुति दिनांक 18/11/2014

माननीय अध्यक्ष राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

निग 13811 - PBR - 15

1. मांगीलाल पिता घीसा जाति बलाई
2. जगदीश पिता घीसा जाति बलाई

दोनो निवासी – ग्राम पंथबडोदिया

तहसील हातोद जिला इन्दौर —— प्रार्थी

विरूद्ध

1. गोरीबाई पति गणपतजी चौहान

(पिता गोपालजी) मृतक तर्फे वारिसा

क. सीताराम पिता गणपत चौहान

ख. आत्माराम पिता गणपत चौहान मृत तर्फे वारिसान

अ. लीलाबाई पति आत्माराम

ब. अनिल पिता आत्माराम

स. सीमा पिता आत्माराम

ग. जयराम पिता गणपत चौहान

घ. मयाराम पिता गणपत चौहान

ड. संतोष पिता गणपत चौहान

ढ. लीलाबाई पिता गणपत चौहान

ड. सुगनबाई पिता गणपत चौहान

सभी निवासी ग्राम बरदरी

तह. सांवेर जिला इन्दौर —— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

प्राथीगण की ओर से सादर निवेदन यह है कि :–

यह कि, प्रतिप्रार्थीगण के द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय हातोद जिला इन्दौर के समक्ष नामांतरण पंजी कमांक 23 आदेश दिनांक 15.07.2007 तत्कालीन तहसील देपालपुर के नायब तहसीलदार महोदय द्वारा प्रमाणिकरण आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है। साथ ही धारा 5 अवधि विधान अधिनियम का आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा वास्तविक स्थिति दर्शित करते हुए धारा 5 का जवाब दिया व दस्तावेज प्रस्तुत किये। जिसमें अवलोकन पश्चात माननीय अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी महोदय हातोद जिला इन्दौर के द्वारा अपील प्रकरण कमांक 28/अपील/14-15 में अंतरिम आदेश दिनांक 14.10.2015 को पारित करते हुए धारा 5 अवधि विधान अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार किया जिससे असंतुष्ट एवं दुखित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष यह निगरानी नकल के दिन मुजरा करते हुए समयावधि में योग्य मुद्रा पत्रों पर प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3811-पीबीआर/15 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	आवेदकगण की ओर से श्री अरविंद सोनकर, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अनावेदक पक्ष को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	